भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2731
दिनांक 16.12.2025 का उत्तरार्थ

पंचायतों का कार्यकरण

2731. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायतों के पास अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त और स्वतंत्र वित्तीय संसाधन हैं या वे मुख्यतः सरकारी अनुदानों पर निर्भर हैं;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी विषयों को पूर्ण रूप से पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंचायतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, कार्यालय भवन और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या पंचायती राज के अधिकारों और महत्व को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243H के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विधि द्वारा निर्दिष्ट है, समनुदिष्ट कर सकता है।

इस सक्षम ढाँचे के बावजूद, कई राज्यों में पंचायते प्रतिबंधात्मक राज्य-स्तरीय अनुमतियों, पुरानी कर मूल्यांकन प्रणालियाँ, सीमित प्रशासनिक क्षमता और करदाताओं के कम अनुपालन के कारण पर्याप्त और स्वतंत्र वित्तीय संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। परिणामस्वरूप, पंचायते राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243। और 280

के तहत वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदान भी शामिल हैं। कई अध्ययन और समिति रिपोर्टें, जैसे कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत पर विशेषज्ञ समिति (2022) और स्वयं के राजस्व के सृजन के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल तैयारी करने पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (NIPFP) की रिपोर्ट (2025) में भी यह रेखांकित किया गया है।

(ख): संविधान के अनुच्छेद 243G में राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारियों के प्रत्यायोजन के लिए, विधि द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सके, जो निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों के अधीन हों, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, जो उन्हें सौंपे जा सकते हैं, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों से संबंधित मामले भी शामिल हैं। राज्य विधानसभाओं को शक्ति और जिम्मेदारियों के पंचायतों पर प्रत्यायोजन हेतु ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, निर्वहन और स्वायत्तता उन शक्तियों और संसाधनों की सीमा पर निर्भर करती है जो स्थानीय सरकारों का कार्य भिन्न होती है। संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किए जाते हैं, और यह राज्यों के बीच भिन्न

(ग): पंचायतों को पंचायत भवन, कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यो / केंद्रशासित प्रदेशों की है। हालांकि, मंत्रालय 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) के माध्यम से पंचायत शासन में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय सीमित स्तर पर पंचायत अवसंरचना के निर्माण, जैसे पंचायत भवनों का निर्माण तथा कंप्यूटर एवं उससे संबंधित उपकरणों की खरीद, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्यो / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को भी पूरक रूप में समर्थन प्रदान करता है।

इंटरनेट संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा **भारतनेट परियोजना** को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि देश के सभी ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को उच्च गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **4 अगस्त 2023** को **संशोधित भारतनेट कार्यक्रम** को अनुमोदित किया। इस संशोधित कार्यक्रम में भारतनेट के चरण-I और चरण -II के अंतर्गत स्थापित मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करना तथा शेष बची हुई ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना शामिल है। इस पहल के लिए **भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)** को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(घ): मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में 'जन योजना अभियान' (पीपीसी) को लागू किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर ग्राम/गांव पंचायतों, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों सहित प्रमाण-आधारित, समग्र और समावेशी विकास योजनाओं को एक संरचित तरीके से तैयार किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य सरपंचों, पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान को सुगम बनाया जा सके। इन्हीं के आधार पर व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु विषय-आधारित 'संकल्प'लिया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय में निहित सभी क्षेत्रों में सेवाओं और अवसंरचना का संतृप्तिकरण सुनिश्चित करना है।
